प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.04.2024

स्वाट टीम नगर जोन व थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा दो करोड़ रु0 की फिरौती/रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण....... दिनांक 21.4.2024 को वादी श्री भुवन गोयल पुत्र राजेश गोयल नि- म0न0- 173 मुकुंद नगर मेन हापुड रोड , गा0बाद द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे एक बंद पत्र भेजा गया है जिसमे मुझसे 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गयी है व ना देने पर मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी है। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण--- घटना के अनावरण हेतु 05 टीमो का गठन किया गया। सीसीटीवी टीमो द्वारा 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरो की फुटेज देखी गयी ,कैमरो की फुटेज,अथक प्रयास,लोकल इनपुट ,मैनुअल इंटेलिजेंस व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 24.4.2024 को फिरौती/रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तगण 1.आलम गीर पुत्र इनाम 2.दानिश पुत्र आलम गीर को जल निगम टी प्वाइंट हाईवे एन0एच0-9 से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण---- अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त आलम गीर ने बताया कि मै हापुड मोड के पास मुकुंद नगर में राजेश गोयल जी की पावरलाइन फेक्ट्री में पेंट करने का काम पिछले 18 सालो से कर रहा था जहाँ से राजेश गोयल जी ने वर्ष 2019 से मुझे यह कहकर निकाल दिया की काम की मंदी चल रही है। मेरे तीन बच्चे है। दो बेटे व एक बेटी मैने तीनो बच्चो की शादी की व कुछ पर्सनल लोन भी लिया था। जिसके कारण मुझ पर कर्जा हो गया था। मै राजेश गोयल जी की वजह से कर्ज मे डुब गया था। इस वजह से मैने अपने बेटे दानिश के साथ मिलकर फिरौती मांगने का षडयन्त्र बनाया था।

नाम पता अभियुक्तगण

1.आलम गीर पुत्र इनाम निवासी म0न0 265 वार्ड न0-51 गांव मिर्जापुर थाना विजयनगर गा0बाद उम्र करीब 48 वर्ष

2.दानिश पुत्र आलम गीर निवासी म0न0 265 वार्ड न0-51 गांव मिर्जापुर थाना विजयनगर गा0बाद उम्र करीब 23

गिरफ्तार करने वाली टीम

स्वाट टीम नगर जोन

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व गाली गलौच के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद ।

थाना लोनी पर दिनांक 22.04.2024 को चिरौडी पेट्रोल पम्प पर चाकू से जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप घायल करने व गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बध में सूचना प्राप्त हुई जिसमें थाना लोनी पर तत्काल वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त शानू पुत्र हासम निवासी जमालपुरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू सहित दिनांक 23.04.2024 की रात्रि में चौकी क्षेत्र चिरौड़ी थाना लोनी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के दो अन्य साथी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण

अभियुक्त द्वारा वादी के भतीजे से अपनी पत्नी से फोन से बात करने की बात को लेकर रंजिश रखते हुए अपने 02 अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर, वादी के भतीजे सुहैल पुत्र जफर निवासी नियर सेन्टमेरी स्कूल कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत पर जान से मारने की नियत से चाकू से घायल कर मौके से फरार हो गए थे।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

शानू पुत्र हासम निवासी जमालपुरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की संख्या 01

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 24.04.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रूपनगर से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 शातिर अभियुक्त सचिन पुत्र राजू निवासी डबल पानी की टंकी के पास रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चोरी, शराब तस्करी, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी जैसे जघन्य अपराध करता है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

सचिन पुत्र राजू निवासी डबल पानी की टंकी के पास रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण

दिल्ली से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल FZ यामाहा DL 5SBT1251 बरामद।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर चोरी, अवैध शराब, मादक पदार्थ की तस्करी आदि के कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या - 15 तथा दिल्ली में पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल व 05 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 24.04.2024 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर एक शातिर अभियुक्त 1. सुधीर कुमार पुत्र दयाराम निवासी शिव बिहार खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र- 50 वर्ष को डा0 भीमराव अम्बेडकर गेट दिल्ली बार्डर खोडा कालोनी से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 01 पिस्टल व 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि यह लाइसेंसी पिस्टल मुझे अनिल कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी ग्राम- घुसूपुर, थाना- कुर्रा, जिला- मैनपुरी हाल पता- शिव बिहार खोडा कालोनी, गली न0 04 खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद ने दी है । जो की उन्ही की लाइसेंसी पिस्टल है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

सुधीर कुमार पुत्र दयाराम निवासी शिव बिहार खोडा कालोनी थाना- खोडा, जिला गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:

- कब्जे से 01 पिस्टल व 05 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः
थाना खोडा टीम पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार तथा साइबर क्राइम थाना की 03 घटनाओं सहित 16 राज्यों के 84 घटनाओं का खुलासा।

श्री अरहम जैन निवासी सूर्य नगर गाजियाबाद से कुल 1.18 करोड़ रूपये दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 26.02.2024 के मध्य, श्रीमती प्रज्ञा पाण्डेय राजनगर नन्दग्राम गाजियाबाद से 31.9 लाख रुपये दिनांक 08.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 के मध्य, श्री अनिरुद्ध सिंह निवासी साया गोल्ड एवेन्यू वैभव खण्ड गाजियाबाद से 11 लाख रुपये दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 6 मार्च 2024 के मध्य साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत शेयर टेडिंग के नाम पर ट्रान्सफर कराकर ठगी की गयी। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में इन लोगों द्वारा थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। इन मुकदमों का अनावरण करते हुए श्री अरहम जैंन के कुल रू0- 28 लाख रूपये तथा श्रीमती प्रज्ञा पाण्डेय के कुल 12 लाख 90 हजार रुपये कुल **40 लाख 90 हजार रुपये** रिफण्ड हेतु माननीय न्यायालय से आदेश कराये गये हैं।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण द्वारा शेयर ट्रेडिंग की दप्रसिध्द विश्वसनीय कम्पनी Angle One तथा DNP Capital Securities के नाम से मिलती जुलती कूटरचित शेयर ट्रेडिंग एप्प बनाकर उसी के माध्यम से अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे वसूले गयेअभियुक्त गणों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से अधिक कमाई , लचवाला वीडियो दिखाकर, लादेकरलिंक के माध्यम से व्हाट्सअप ग्रुप में जोडकर विभिन्न शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित टिप्स , देकर बरगलाकर तथा कूटरचित शेयर ट्रेडिंग एप्प बनाकर उसके माध्यम से छद्म शेयर ट्रेडिंग कराने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से विभिन्न बैंक के भिन्न भिन्न खातो में पैसा ट्रान्सफर कराया जाता था। ऐप पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढते मुनाफे का लालच देकर तथा पैसो को ऐप से अपने खाते में ट्रान्सफर करने के नाम पर और अधिक पैसा जमा करवाया जाता था।

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया की हम लोग, लोगो के नाम से, MSME सर्टीफिकेट बनवाकर बैंक में चालू खाते खुलवाते हैं , जिनका प्रयोग ठगी के पैसो को ट्रान्जेक्शन कराने के लिए किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि इन अभियुक्तों द्वारा खुलवाये गये खातों से सम्बन्धित अपराध के लिये दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम थाना, साउथ वेस्ट दिल्ली द्वारा भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों में विकास आहूजा पहले सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में AU Small Finance Bank, Kotak Mahindra Bank में काम कर चुका है अधिक पैसे कमाने के लालच में एकाउन्टेन्ट दिलीप के साथ मिलकर टीकमगढ़ के रहने वाले अजय के माध्यम से नरेन्द्र और सन्दीप के नाम पर MSME सर्टीफिकेट बनाकर क्रमशः V V ट्रेडर्स व Dhanush Enterprises नाम की फर्म करोल बाग दिल्ली के पते पर बनाकर IndusInd Bank में चालू खाते खोले थे तथा ईशू की मदद से उन खातों को 1.5 लाख रुपये में आगे अमित व सुमित नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। अमित व सुमित की तलाश की जा रही है।

इन अभियुक्तों के विरुध्द आन्ध्रप्रदेश राज्य के अनन्तपुरम तिरुपति, पालनाडु, दिल्ली राज्य के रोहिणी, नार्थवेस्ट, साउथ वेस्ट, आउटर डिस्ट्रिक्ट, सेन्ट्रल , गुजरात राज्य के अहमदाबाद, आनन्द व वडोदरा सिटी, टापी व कच्छ, गोवा राज्य के साउथ गोवा, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम, रेवाड़ी, कर्नाटका राज्य के बंगलोर सिटी, मैसूर, कटक, मंगलूरु सिटी, केरल राज्य के पलक्कड, तिरुअनंतपुरम, मल्लापुरम, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर, महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई सिटी, पुणे, नवी मुम्बई, पालघर, पिम्परी, चिंचवाड़, लातूर , उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर , पंजाब राज्य के लुधियाना, सास नगर, तमिलनाडु के साइबर

थाना, तेलंगाना राज्य के खम्मम, साइबराबाद, रचतुंडा, हैदराबाद, सांगारेड्डी, उत्तर प्रदेश के गौतमबुध्द नगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, झांसी, आगरा, बरेली, मेरठ व खीरी, उत्तराखण्ड के चम्पात, पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिलों में कुल 16 राज्यों में 84 घटनायें दर्ज हैं। सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क कर इन घटनाओं में इनके विरुध्द कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. विकास आहुजा पुत्र ग्रीस आहुजा निवासी एफ0एफ 26 0लक्ष्मी नगर दिल्ली मूल पता मोहल्ला मोदरपुरा शिकारपुर बुलन्दशहर उ0प्र 0उम्र 35 वर्ष शिक्षा MBA
2. अजय पुत्र पूरनलाल गांव मवई थाना टीकमगढ़ जनपद टीकमगढ़ म0प्र 0उम्र 24 वर्ष शिक्षा 5वीं
3. दिलीप पुत्र राजेन्द्र प्रसाद खंण्डेलवाल निवासी ए 051रामदत्त इन्कलेव उत्तम नगर दिल्ली उम्र 30 वर्ष शिक्षा 12वीं
4. नरेन्द्र कुमार वन्सकार पुत्र परशुराम निवासी गांव नूना थाना चन्देरा जनपद टीकमगढ़ म0प्र 0उम्र 28 वर्ष शिक्षा चौथी
5. संदीप कुमार रैकवार पुत्र शिवदयाल निवासी गांव नूना थाना चन्देरा जनपद टीकमगढ़ म0प्र 0उम्र 22 वर्ष शिक्षा 5 वीं
6. इशू पुत्र अनिल निवासी आर 862 जे0जे 0कॉलोनी रगुवीर नगर थाना खैला दिल्ली उम्र 22 वर्ष शिक्षा 10 वीं